

// दिनांक-31.12.17 तक धारित अचल सम्पत्ति का विवरण //

- 1- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- जी.डी.शर्मा (पुलिस विभाग) 2-वर्तमान धारित पद:-उप पुलिस अधीक्षक 3-प्रथम नियुक्ति का पद व दिनांक - उप निरीक्षक दिनांक-9.12.88 4- प्रथम नियुक्ति का समय कुल वेतन-1600/- 5-वर्तमान पद का कुल वेतन -74715/-

1	2	3	4	5
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नक्शा जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यारे गृह तथा भूमि (आवासीय अन्य भवन प्लॉट) एवं कृषि भूमि	सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक व उस समय का मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर आधारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है
महाडिक की गोठ कम्पू लश्कर ग्वालियर	2 एक भवन 1000 स्क्वेयर फिट	3 पुस्तैनी जो स्व. माता जी के नाम से है जो वसियत के आधार पर पति अरुणा शर्मा को प्राप्त है। सम्पत्ति वर्ष 1963 में अर्जित की गई जिसकी उस समय 3000/-रूपये कीमत थी	4 लगभग 1.5 करोड रूपये	5 उक्त भवन पति श्रीमती अरुणा शर्मा को वसियत के आधार पर प्राप्त हुई है। श्रीमती अरुणा शर्मा मेरी पति है।
बी.एस.एफ. कॉलोनी ग्वालियर	एक 40X50 स्क्वेयर फिट का भूखण्ड	दिनांक-26.11.2001 को 1,00,000/-रूपये में सीमा सुरक्षा बल सोसायटी से खरीदा	60,00,000/-रूपये	स्वयं
ग्राम रायरू जिला ग्वालियर (जिनावली)	3 बीघा 7 विसवा कृषि भूमि	पुस्तैनी जो स्व. माता जी के नाम से है जो वसियत के आधार पर पति अरुणा शर्मा को प्राप्त होनी है।	लगभग एक करोड रूपये करीब	यह भूमि स्व. माताजी के नाम पर है जिसकी वसियत पति श्रीमती अरुणा शर्मा को चुकी है औपचारिकता होना शेष है।
बी.एस.एफ. कॉलोनी ग्वालियर	एक 80X50 स्क्वेयर फिट का भूखण्ड	पिता श्री बी.डी.शर्मा के नाम है	80,00,000/-रूपये	पिता श्री बी.डी.शर्मा के नाम है

85-531

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी प्रकार से अर्जन हो उसका नाम तथा व्यौरा	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट हो तो उसके लिये बचाये गये वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिससे नगद, ऋण या भेंट दी हो उसका पूरा पता दिया जावे	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार विस्तार किया गया हो तो उसकी लागत तथा वित्तीय साधनों का विवरण
6	7	8	9
विरासत	निल	विरासत से प्राप्त वित्तीय खर्चा निल	यथावत
खरीदा गया कीमत- 89544/-	दिनांक-19.09.97 को शासन को सूचना देकर विधिवत अनुमति प्राप्त की गई	नहीं	भवन निर्माणाधीन है भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि इस प्रकार है- 1- 5,00,000/- मित्र रामरतन सिंह यादव से प्राप्त 2- 3,00,000/- पिताजी से प्राप्त 3- 4,00,000/- स्वयं के जी.पी.एफ.से 4- 30,43,470/- स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया से लॉन प्राप्त कर। कुल राशि :- 42,43,470/- पत्र क्र / उमनि/ भो.रे./ एसी-1 / अनु / 115/12 दिनांक 14.12.2012 से अनुमति प्राप्त की गयी है।
वसियत से अर्जित किया जाना है।	विरासत	निल	निल
पिताजी ने सेवा निवृत्ति में प्राप्त धन से कय किया था	निल	निल	निल

क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया था अनुमति ली गयी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण	अभियुक्ति
10	11	12	13
सुधार नहीं किया गया	20,000/- रुपये प्रतिमाह	नहीं	-
श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक	निर्माणाधीन	नहीं	भवन निर्माणाधीन है भवन निर्माण हेतु प्राप्त

भोपाल रेंज भोपाल के आदेश क-उमनि/भो.रे./ए.सी.-1/अनु. /115/12/14.12.12			राशि इस प्रकार है— 1- 5,00,000/- मित्र रामरतन सिंह यादव से प्राप्त 2- 3,00,000/- पिताजी से प्राप्त 3- 4,00,000/- स्वयं के जी.पी.एफ.से प्राप्त कर अनुमति ली गयी थी तत्पश्चात बैंक का लॉन 30,43,470/- प्राप्त किया गया जिससे भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पत्र क /उमनि/भो.रे./ एसी-1 /अनु /115/12 दिनांक 14.12.2012 से अनुमति प्राप्त की गयी है।
निल	40,000/- वार्षिक	निल	कृषि उत्पादन किया जा रहा है
निल	निल	निल	यह भूखण्ड पिता श्री बी.डी.शर्मा के नाम है जिनके द्वारा मेरी पत्नि अरुणा शर्मा के नाम वसीयत की गई है।

*जहां लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करन संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी—मध्य प्रदेश शासकीय सेवा आचरण अधिनियम, 1859 के नियम 18-3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक प्रथम महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषण पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें या उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित जिसमें उसे विरासत में मिली या उसने अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित या उसके प्रदत्त सम्पत्ति के व्यौरे दें।



हस्ताक्षर

नाम- जी.डी. शर्मा

पद-उप पुलिस अधीक्षक

विभाग -म0प्र0पु0